



अनवान- टीकमाराम बनाम भूमिधारी तहसीलदार।  
मुकदमा नम्बर- 05/2023  
निर्णय तारीख- 16.05.2025

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी सुधीर कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. टीकमाराम पुत्र मोडारामजी जाति रेबारी निवासी कोला रेबारियों की ढाणी, भादरुणा तहसील सांचौर जिला जालोर।		1. भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।

अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 मू राजस्व अधिनियम 1956  
उपरिस्थिति :-

प्रार्थी अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह  
अप्रार्थी की ओर नायब तहसीलदार।

-: निर्णय :-

दिनांक:-16.05.2025

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 111,128 राज0 मू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा कोला रेबारियों की ढाणी तहसील सांचौर में प्रार्थी की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 134 रकबा 2.01 हे. व खसरा नम्बर 135 रकबा 0.64 हेक्ट. आई हुई हैं। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। नकल चालू जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र पेश हैं।
2. प्रार्थी की उक्त आराजी के पड़ौस में अप्रार्थी यानि राज्य सरकार की आराजी नवीन खसरा नम्बर 1984/189 आई हुई है, जो राजस्थान सरकार के खाता संख्या 1 के नाम दर्ज है। नकल चालू जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र पेश हैं।
3. उक्त खसरा संख्या-134 व 135 तथा खसरा संख्या-1984/189 के बीच की माट अप्रार्थी के मातहत कर्मचारीयों द्वारा तोड़ दी गई हैं तथा पुरानी माट के आलामात मिटाकर दोनों खसरांन की भूमि का सीमाज्ञान मिटा दिया हैं। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश कर भूमि का सीमाज्ञान करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार-सांचौर के कार्यालय में दिनांक 11.10.2023 को पेश किया लेकिन मौके पर काम कर रहे ठेकेदार ने भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु पैमाईश नहीं करने दी तथा लडाई झगडे की स्थिति पैदा हो गई, जिससे व्यथित होकर हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट का माननीय अदालत माननीय अदालत पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि नवीन खसरा संख्या 134 व 135 तथा नवीन खसरा संख्या 1984/189 की माट का जी.पी.एस. से सीमाज्ञान कर स्थाई नेखमबंदी करने का आदेश भूमिधारी तहसीलदार-सांचौर को देने की मेहरबानी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की ओर से राजपेरोकार द्वारा नहीं देने से जवाब बंद किया गया।



सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पर तहसीलदार सांचौर के कमांक 32 दिनांक 11.10.2023 से सीमांकन आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। अतः सरहद मौजा कोला रेबारियों की ढाणी तहसील सांचौर में प्रार्थी की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 134 रकबा 2.01 हे. व खसरा नम्बर 135 रकबा 0.64 हेक्ट. व अप्रार्थी राजस्थान सरकार की आराजी नवीन खसरा नम्बर 1984/189 आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


—: आदेश :-

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा कोला रेबारियों की ढाणी तहसील सांचौर में प्रार्थी की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 134 रकबा 2.01 हे. व खसरा नम्बर 135 रकबा 0.64 हेक्ट. व अप्रार्थी राजस्थान सरकार की आराजी नवीन खसरा नम्बर 1984/189 आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 30 दिवस में पालना प्रस्तुत करें एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों के रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार सांचौर को भेजी जावे। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें।


पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

  
(प्रमोद कुमार)

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)